

फर्द अहकाम
(नियम 15)

12024/402

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
अनमोल बनाम मांगीसिंह आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 31 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
05.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 05.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o</p>	
<p><u>8.7.2024</u></p>	<p>वकील वादी ने प्लाना-पत्र सिवाल पेशी केरु करे पर प्लानकी को पेशी में लिख गपरा वकील वादी ने मित्रेहन बिषा बिअद आगे नही चलाना चाहे है। मोजूका रिपारि में बाहीज करकना चाहे है। इत वाद-पत्र मोजूका रिपारि में बाहीज किया जात है। प्लानकी नखेर से अम कीजापर को 5 तदकीक तअकील जाएल दाखिल हएतर हो।</p> <p style="text-align: center;">o</p>	<p>विभवा</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>

